

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0-07 / स्था0-06-07 / 2017, परि0

पटना, दिनांक-

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप संख्या-22/अनु-04/2015, सा0प्र0 14151, दिनांक-09.11.2017 द्वारा संसूचित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-06.11.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या-07 पर अंकित श्री अमर गुरुंग, पिता - स्व0 मंगल गुरुंग, कार्यालय परिचारी (चपरासी), परिवहन विभाग, बिहार, पटना (पता - C/o रामसाह, बी0 भी0 कॉलेज, रोड नं0-09, क्वार्टर नं0-न्यू 6, पटना, बिहार, पिन-800014) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में श्री अमर गुरुंग को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध सप्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना के स्तर (Level)-2, वेतनमान-19900-63200 (अपुनरीक्षित वेतनबैंड-5200-20200 ग्रेड पे-1900) में अनुमान्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

2. स्व0 मंगल गुरुंग, कार्यालय परिचारी (चपरासी), परिवहन विभाग, बिहार, पटना के परिवार के आश्रित सदस्यों के नियमानुसार भरण-पोषण का दायित्व श्री अमर गुरुंग पर होगा। इस दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
3. श्री अमर गुरुंग असैनिक शल्य चिकित्सक से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अपना योगदान 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने पर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
4. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
5. इनके वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) द्वारा किया जायगा।
6. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनी होगी।
7. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाणपत्र/जालसाजी/धोखाधड़ी के आधार पर इनकी नियुक्ति हो गई हो, इसकी जानकारी प्राप्त होने पर श्री अमर गुरुंग को अविलम्ब सेवामुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
8. प्रस्ताव में सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-07 / स्था0-06-07 / 2017, परि0

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-07/स्था0-06-07/2017, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/रक्षित पंजी (निर्गत शाखा)/लेखा शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-07/स्था0-06-07/2017, परि0

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि- श्री अमर गुरुंग, पिता - स्व0 मंगल गुरुंग, कार्यालय परिचारी (चपरासी), परिवहन विभाग, बिहार, पटना (पता - C/o रामसाह, बी0 भी0 कॉलेज, रोड नं0-09, क्वार्टर नं0-न्यू 6, पटना, बिहार, पिन-800014, मोबाईल नं0-09122777334/08409899593) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-07/स्था0-06-07/2017, परि0

6001

पटना, दिनांक- 17/9/18

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0-07/स्था0-06-07/2017, परि0

पटना, दिनांक-

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप संख्या-22/अनु-04/2015, सा0प्र0 14151, दिनांक-09.11.2017 द्वारा संसूचित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-06.11.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या-07 पर अंकित श्री अमर गुरुंग, पिता - स्व0 मंगल गुरुंग, कार्यालय परिचारी (चपरासी), परिवहन विभाग, बिहार, पटना (पता - C/o रामसाह, बी0 भी0 कॉलेज, रोड नं0-09, क्वार्टर नं0-न्यू 6, पटना, बिहार, पिन-800014) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में श्री अमर गुरुंग को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध सप्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना के स्तर (Level)-2, वेतनमान-19900-63200 (अपुनरीक्षित वेतनबैंड-5200-20200 ग्रेड पे-1900) में अनुमान्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

2. स्व0 मंगल गुरुंग, कार्यालय परिचारी (चपरासी), परिवहन विभाग, बिहार, पटना के परिवार के आश्रित सदस्यों के नियमानुसार भरण-पोषण का दायित्व श्री अमर गुरुंग पर होगा। इस दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
3. श्री अमर गुरुंग असैनिक शल्य चिकित्सक से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अपना योगदान 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने पर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
4. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
5. इनके वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) द्वारा किया जायगा।
6. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनी होगी।
7. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाणपत्र/जालसाजी/धोखाधड़ी के आधार पर इनकी नियुक्ति हो गई हो, इसकी जानकारी प्राप्त होने पर श्री अमर गुरुंग को अविलम्ब सेवामुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
8. प्रस्ताव में सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-07/स्था0-06-07/2017, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-07/स्था0-06-07/2017, परि0

6001

पटना, दिनांक-

17/9/18

प्रतिलिपि- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/रक्षित पंजी (निर्गत शाखा)/लेखा शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चौधरी अनन्त नारायण)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना